24/3/2021 वकील प्रार्थी उप० । हि०सा० स्वास्थ्य मेले में पधारे हुये है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/3/2021 को पेश हो।

30/03/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी के पिता का सही नाम पाला पुत्र राधू जाति मीणा है। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता ने पूर्व खातेदार श्योकरण जाति चमार (हरिजन) से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1974 को खरीद की हैं तथा इसी विक्रय पत्र में शेष 1/2 हिस्सा सोहन पुत्र बिलासा जाति हरिजन (चमार) ने खरीद की हैं। जिस कारण नामान्तरकरण दर्ज करते समय व राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से प्रार्थी के पिता के नाम के आगे प्रार्थी के पिता की जाति अंकित नहीं कर अन्य केता सोहन पुत्र बिलासा के साथ सम्मिलित रूप से जाति हरिजन (चमार) अंकित कर दी गयी जो बाद में परिवर्तित होती हुई वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पाला पुत्र राधू हिस्सा 1/2 जाति बलाई अंकित हो गई। जबकि प्रार्थी के पिता की वास्तवित जाति मीणा हैं। इस तथ्य के समर्थन में प्रार्थी ने ग्राम पांचू खरकडा में प्रार्थी के पिता को आवंटित भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2034–2037 जिसमें प्रार्थी के पिता की जाति मीणा अंकित हैं। प्रार्थी के भाई बनवारी लाल का मृत्यु प्रमाण 05.05.1999 जिसमें प्रार्थी के पिता के नाम के आगे जाति मीणा अंकित हैं तथा ग्राम पंचायत डुँगा की नांगल द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक 130 दिनांक 19.08.2015 जिसमें प्रार्थी के पिता की जाति मीणा अंकित हैं तथा विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1974 की प्रति प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय प्रार्थी का शपथ–पत्र तथा बतौर गवाह श्री बच्चनसिंह पुत्र बनवारी लाल जाति माली का लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता पाला पुत्र राधू की जाति बलाई अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के पिता पाला पुत्र राधू की सही एवं वास्तविक जाति मीणा है की पुष्टि कार्यालय ग्राम पंचायत डुँगा की नांगल का सजरा प्रमाण पत्र एवं जारी मृत्यु प्रमाण पत्र 05.05.1999 से होती है तथा प्रार्थी स्वंय के तथा गवाह बच्चनसिंह पुत्र बनवारी लाल जाति माली के लिखित एवं तस्दीकशुदा शपथ–पत्रों से भी इस तथ्य की ताकीद होती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है, परन्तु यहां एक अन्य तथ्य भी विचारणीय हैं की वादग्रस्त आराजी का पूर्व मूल खातेदार अनुसुचित जाति से संबंधित हैं। जिसने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1974 हिस्सा 1/2 भूमि सोहन पुत्र बिलासा जाति हरिजन (चमार) जो कि अनुसुचित जाति का ही व्यक्ति हैं, को तथा 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता [illegible] राधू जाति मीणा जो कि अनुसुचित जनजाति (गैर अनुसुचित [illegible]) व्यक्ति हैं, को बेचान की हैं। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया [illegible] 1955 की धारा 42(बी) का उल्लघंन जाहिर आता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.31 15:47:57 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भगेश्वर पटवार हल्का डोकन भूमि खाता संख्या 70 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पाला पुत्र राधू हिस्सा 1/2 जाति बलाई के स्थान पर पाला पुत्र राधू हिस्सा 1/2 जाति मीणा दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

साथ ही तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण का परीक्षण करे यदि धारा 42(बी) का उल्लघंन जाहिर हो तो सक्षम न्यायालय में राज. का. अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया जाकर भूमि को राजकीय घोषित करवाने एवं कब्जेराज लेने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.03.31 15:47:57 IST
Reason: SelfAttested